उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है । खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं ।

नई दिल्ली;
29 फरवरी, 2008 **पी० चिदम्बरम**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त मंत्री श्री पी० चिदम्बरम के, लोक सभा के महासचिव को भेजे गए, तारीख 29 फरवरी, 2008 के पत्र सं० फा० 2(9)-बी०(डी०)/2008 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन, वित्त विधेयक, 2008 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करती हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करती हैं ।

2. यह विधेयक लोक सभा में 29 फरवरी, 2008 को बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद पुरःस्थापित किया जाएगा ।

http://indiabudget.nic.in